

**यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र ई.पी.आई.पी. आगरा में निर्यात मूलक एवं सिकन्दरा साईट-सी में भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर**

## भूखण्डों का विवरण :-

(लाइसेंस/कॉनर चांसेस अतिरिक्त, यदि देय हो)

क्र. सं.	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	आवंटन दर प्रति वर्ग मी. (रू. में)
<b>औद्योगिक क्षेत्र ईपीआईपी, आगरा</b>			
1.	1200	01	6000.00
2.	1000	04	6000.00
3.	600	06	6000.00
<b>औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरा साईट-सी</b>			
1.	3500	01	8000.00
2.	2400	01	8000.00

## आवेदन की तिथि

**23.09.2015 से 26.10.2015 तक**

● आवेदन पत्र शुल्क रू. 500/- + रू.25/- बिक्रीकर के नकद भुगतान पर क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से दिनांक 23.09.2015 से 26.10.2015 तक किसी भी कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं । ● आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क (1 एकड़ तक रू. 2000/- एवं 1 एकड़ से 5 एकड़ तक की दशा में रू. 5000/-) एवं भूखण्ड के मूल्य का 25 प्रतिशत धरोहर धनराशि (उपरोक्तानुसार) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो यू.पी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में आगरा पर देय हों को पंजाब नेशनल बैंक शाखा सब्जी मण्डी, सिकन्दरा, आगरा में चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है । ● पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र, हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रफ ले-आउट, चालान की प्रतिलिपि एवं आवेदन

पत्र में वर्णित अन्य प्रपत्रों सहित दिनांक 23.09.2015 से 26.10.2015 तक कार्यालय समय में आगरा कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं । ● ईपीआईपी, आगरा हेतु प्रस्तावित इकाई के निर्यात मूलक होने की पुष्टि हेतु पिछले दो वर्षों में निर्यात से सम्बन्धित पर्याप्त प्रपत्र, बैलेंस शीट सहित संलग्न करने होंगे ।

● अवस्थापना सुविधाएं : पूर्ण विकसित औद्योगिक क्षेत्र । विद्युतीकरण । सड़क, नाली, पुलिया, पार्क एवं हरा-भरा क्षेत्र सहित मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध ।

**आवंटन प्रक्रिया** - ● आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा । साक्षात्कार के समय आवेदक को तकनीकी अनुभव, वित्तीय क्षमता, परियोजना से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे । सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किये जायेंगे । ● अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 12 छमाही किश्तों में 14 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करानी होगी । (समय से भुगतान पर ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट) ● भूखण्ड 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा ।

● विपणन से सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ व जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा से व दूरभाष सं 0562-2641924 तथा निगम की वेबसाईट [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com) से प्राप्त की जा सकती है । ● दिये गये भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ भी सकती है । ● आवेदन की तिथि से 03 माह के अन्दर यदि कोई भूखण्ड निरस्तीकरण आदि के उपरान्त रिक्त होता है उसी स्थिति में भूखण्ड के आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी । आवेदन तिथि के 03 माह के अन्दर भूखण्ड आवंटन योग्य रिक्त नहीं होते हैं तो आवेदक का प्रक्रिया शुल्क जब्त करते हुये धरोहर धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी । ● निगम प्रबन्धन को बिना कारण बताये योजना एवं आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा व इस सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा । आवंटन में निगम की सामान्य नीति एवं शर्तें लागू होंगी । ● भूखण्डों का आवंटन, आवंटन तिथि को प्रचलित प्रीमियम दर पर किया जाएगा ।

विस्तृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें :

**क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ.प्र.रा.औ.वि.नि.लि.,**

प्रशासनिक भवन, ई.पी.आई.पी. शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा, फोन नं. : 0562-2641924